



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271434
CG-DL-E-31032026-271434

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1598]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1663(अ).— केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 30 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2527 (ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 के सामने, मौजूदा प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“श्रीमती जे. मीना कुमारी

कार्यकारी निदेशक,

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ... सदस्य”

[फा. सं. 4/1/2020-आरई-पार्ट (1)

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में एस.ओ. 2527 (ई) दिनांक 30 जुलाई, 2020 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और बाद में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 57 (ई) दिनांक 6 जनवरी, 2021, एस.ओ. 2099 (ई) दिनांक 1 जून, 2021, एस.ओ. 2912 (ई) दिनांक 27 जून, 2022 और एस.ओ. 925 (ई) दिनांक 27 फरवरी, 2024 के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1663(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, vide number S.O. 2527(E) dated the 30th July, 2020, namely:-

In the said notification, against serial number 3, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:-

“Smt. J. Meena Kumari

Executive Director,

Insurance Regulatory and Development Authority of India Member”

[F. No. 4/1/2020-RE-Part (1)]

Dr. ALOK TIWARI, Jt. Secy.

Footnote: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2527(E) dated the 30th July, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 57(E) dated 6th January, 2021, S.O. 2099(E) dated 1st June, 2021, S.O. 2912(E) dated 27th June, 2022 and S.O. 925(E) dated 27th February, 2024.